

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 7 जून, 2013

फा0सं0 4/15015/30/2011 (अ).-- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्ररूप विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 16 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल संख्या 4/15015/30/2011 तारीख 29 दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियों जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से दस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :--

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1 में,-

(क) उपविनियम 3.1.2 में खाद्य में पोलियोल्स के उपयोग से संबंधित खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह कि च्युंगम में टाइटेनियम डाइऑक्साइड (खाद्य श्रेणी) की अधिकतम एक प्रतिशत मात्रा अंतर्विष्ट हो सकेगी।”

[फा0सं0 4/15015/30/2011]

(के. चंद्रमौली)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं0 फा0सं0 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गए थे।